नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग अधिसूचना

दिनांक 25 जनवरी, 1994

संख्या पी0 सी0— 94/802— पंजाब अनुसूचित सड़कें तथा नियन्त्रित क्षेत्र अनियमित विकास प्रतिबन्ध अधिनियम, 1963 की धारा 4 की उप धारा (I) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियां तथा उन्हें सक्षम बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा नीचे दी गई अनुसूचि में यथाविनिदिष्ट तथा इससे संलग्न नक्शें में दर्शाए गए अनुसार गांव धाना, तहसील और जिला गुड़गांव में राजकीय प्राथमिक विद्यालय के आस पास के क्षत्रों को उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ नियन्त्रित क्षेत्र के रूप में घोषित करते हैं, अर्थात्ः—

अनुसूची

गांव धाना, तहसील और जिला गुड़गांव में राजकीय प्राईमरी विद्यालय के इर्द–गिर्द के नियन्त्रित क्षेत्र की सीमा—अनुसूची को ड्राईंग संख्या डी०टी०पी० (जी) 427/93 दिनांक 25 मई, 1993 के साथ पढ़ा जाए।

- उत्तर: बिन्दु 'क' से लेकर जो गांव धाना की आयत संख्या 4 का उत्तर—पश्चिम कोना, उसके बाद गांव धाना की आयत संख्या 4,11,13 और गांव बास हिरया (अलियार) की आयत संख्या 19,20 तथा 23 की उत्तरी सीमा के साथ—2 पूर्व की ओर उसके बाद उक्त गांव की आयत संख्या 29 की पश्चिमी सीमा के साथ—2 उत्तर की ओर, और उस आगे गांव बास हिरया (अलियार) को आयत संख्या 29,41,40 और 39 की उत्तरी सीमा के साथ—2 पूर्व की ओर बिन्दु 'ख' तक जहां यह गांव बास—हिरया (अलियार) की पूर्वी राजस्व सीमा से मिलती है।
- उत्तर पूर्वः उसके बाद गांव बास हरिया (अलियार),, धाना और कसन की पूर्वी राजस्व सीमा के साथ—2 दक्षिण की ओर बिन्दु 'ग— तक अर्थात जहां गांव कसान की आयत संख्या 105 की पश्चिमी सीमा से मिलती है।
- दक्षिण और दक्षिण-पश्चिमः उसके बाद गांव कह कासन की आयत संख्या 105, 97 और 77 की पश्चिमी सीमा के साथ-2 उत्तर की ओर बिन्दु 'ध' तक अर्थात जहां यह गांव धाना की दक्षिण-पश्चिमी राजस्व सीमा से मिलती है। उसके बाद गांव धाना की दक्षिण-पश्चिमी राजस्व सीमा के साथ-2 उत्तर-पश्चिम की ओर बिन्दु 'ड.' तक जहां यह गांव धाना की आयत संख्या 7 की पश्चिमी सीमा से मिलती है।
- पश्चिमः उसके बाद गांव धाना की आयत संख्या 7 और 4 की पश्चिमी सीमा के साथ—2 उत्तर की ओर बिन्दु 'क' तक अर्थात आरम्भ के बिन्दु तक।

प्रदीप कुमार, आयुक्त एंव सचिव, हरियाणा सरकार, नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग।

166

HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), JAN.31, 1994 (MAGHA 11, 1915 SAKA)

TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT Notification

The 25th January, 1994

No. PC-94/802- In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (i) of section 4 of the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development Act, 1963 and all other powers enabling him in this behalf , the Governor of Haryana hereby declares the area around Government Primary School at village Dhana, tehsil and district Gurgaon as specified in the Schedule given below and shown in the plan appended hereto, to be a controlled area for the purposes of the said Act, namely:-

SCHEDULE

Schedule of boundaries of controlled area around Government Primary School at village Dhana tehsil and district Gurgaon to be read with the Drg No. DTP(G) 427/93, dated 25th May, 1993.

- North: Starting from point 'A' i.e. north west corner of Rect. No. 4 of village Dhana, thence towards east along the northern boundary of Rect. No. 4, 11, 13 of village Dhana and Rect. No. 19,20 and 23 of village Bas Haria (Aliyar), thence towards north along the western boundary of Rect. No. 29 of the said village and further towards east along the northern boundary of Rect. No. 29,41,40 and 39 of village Bas Haria (Aliyar) upto point 'B' where it meets the eastern revenue boundary of village Bas Haria (Aliyar).
- **East:** Thence, towards south along the eastern revenue boundary of village Bas Haria (Aliyar), Dhana and Kasan upto point 'C' i.e. where it meets the western boundary of Rect. No. 105 of village Kasan.
- **South and South-West:** Thence, towards north along the western boundary of Rect.No. 105,97 and 77 of village Kawsan upto point 'D' i.e. where it meets the south-western revenue boundary of village Dhana, Thence, towards north-west along the south western revenue boundary of village Dhana upto point 'E' i.e. where it meets the western boundary of Rect. No. 7 of village Dhana.
- **West:** Thence, towards north along the western boundary of Rect. No. 7 and 4 of village Dhana upto point 'A' i.e. the point of start.

PRADEEP KUMAR

Commissioner and Secretary to Government, Haryana, Town and Country Planning Department.